

131/17



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

योगेंद्र कुमार वैश्य
अध्यक्ष
यथार्थ सामाजिक कल्याण एवं सेवा संस्थान
(1)



482186

मैं योगेंद्र कुमार वैश्य (आधार नं०-534265690921) पुत्र श्री उददी लाल वैश्य निवासी
बी-157 मेंहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) का हूँ, जिन्हें
आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र
में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है।

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व
अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया
है के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों
ने उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है
कि न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।
व्यवस्थापकों ने उक्त को ट्रस्ट का प्रथम होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन
कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि-

- 1. यह कि ट्रस्ट का नाम- यथार्थ सामाजिक कल्याण एवं सेवा संस्थान
YATHARTH SAMAJIK KALYAN AWM SEVA SANSTHAN होगा।

Yogendra Kumar

Yatharth Samajik Kalyan AWM Seva Sansthan
President

Treasurer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 MAR 2017
इलाहाबाद
318237

(2)

2. यह कि उक्त का पंजीकृत कार्यालय बी-157 मेंहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. कम्प्यूटर कोथिंग सेन्टर की स्थापना करना व संचालन करना।
4. बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान कराना।
5. लड़के व लड़कियों के लिये अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।
6. प्राथमिक से उच्च स्तर तक स्कूल कालेज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यावसायिक कोर्स हेतु कालेजों की स्थापना करना व संचालन करना।
7. नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल :हिन्दी व इंग्लिश मीडियम व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
8. शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।

Yogendra Kumar

Yashraj Samajik Kalyan, Janta Samajik Seva Sansthan

President

Treasurer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27 MAR 2017

DN 318238

(3)

9. शैक्षिक किताबों, पेपर, साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि का प्रकाशन कराना, लाइब्रेरी, शीडिंग रूम तथा हास्टल/छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
10. सभी प्रकार की फिल्मों, टेली फिल्म आदि का निर्माण कराना। तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण देना तथा इससे सम्बन्धित अन्य क्रियाकलाप करना।
11. धर्मशाला, आश्रम, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।
12. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना ताकि जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।

Yogendra Kumar

Yashwanth Sanjay Kalyan Arun Seva Sansthan

Yogendra
President

Yashwanth
Treasurer



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

13. दान दाताओं, विदेशी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं व सरकारी संस्थाओं द्वारा सरकारी सहायता, ऋण व अन्य सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नोडल संस्था का बिजनेस प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेन्चाइजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस उपलब्ध करवाना।
14. समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
15. समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
16. गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम पब्लिक को जल ही जीवन है सम्बन्धित जानकारी देना।

Yogendra Kumar



Yashraj Sanyal, Kuljot, Nam Deva Sanyal

President

Treasurer

(5)

17. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक तकनीक द्वारा करना।
18. अस्पताल, औषधालय, डायग्नोस्टिक सेन्टर, स्कैनिंग सेन्टर, पाली क्लीनिक, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
19. प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों एवं गांवों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़ें।
20. निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
21. स्कूल व कालेज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
22. कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
23. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना।
24. ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना।
25. वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।
26. यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।
27. यह कि धर्मशाला एवं मंदिर का निर्माण करना तथा शादी विवाह हेतु उचित स्थान की व्यवस्था करना जिससे समाज के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ हो सके।
28. महिलाओं, बालक, बालिकाओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व चारित्रिक विकास करना। प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।

Yogendra Kumar



Yatharth Samajik Mahila Jan Dhan Sansthan
President
Treasurer

29. ऊसर एवं बंजर भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य करना तथा कृषिकों को आधुनिक तकनीक द्वारा खेती करने की जानकारी/प्रशिक्षण/नये यंत्रों की जानकारी देना तथा भूमि सुधार औषधि एवं सगन्धीय पौधों की खेती करना, नैडम एवं वर्मी कम्पोस्ट तथा जैविक कृषि हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना ।
30. सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन करना, सांस्कृतिक गोष्ठी, सेमिनार, जनजातीय लोक कला एवं विनिदृष्टि कला हेतु विकास करना, संगीत कला केन्द्र/संगीत महाविद्यालयों की स्थापना करना, वाद्य यंत्रों का रख रखाव, लुप्त हो रही संस्कृति को उजागर करना, अनुसंधान, प्रोत्साहन विषयक संगोष्ठी, जन्म सताब्दी समारोहों का आयोजन करना तथा विभिन्न प्रकार की/विभिन्न विधाओं में संगीत प्रतियोगितायें आयोजित करना ।
31. युवाओं के विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन तथा एकता की भावना पैदा करने हेतु क्रीड़ा/खेल कार्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु खेल प्रतियोगितायें तथा युवाओं नेतृत्व गुण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना ।
32. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपद स्तर, प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ट्रस्ट की शाखा व कार्यालयों की स्थापना करना ।

कार्यक्षेत्र -

1. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा ।

ट्रस्ट द्वारा संस्थाओं का संचालन

- (क) ट्रस्ट द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं की सम्पत्ति चल व अचल ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी। जिसे ट्रस्ट किसी भी उपयोग में ला सकेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं को ट्रस्ट के हित में बंधक रखा जा सकता है। ट्रस्ट/संस्था की ओर से आवश्यक शपथ-पत्र/प्रति शपथ-पत्र या विलय पर ट्रस्ट की सहमति से ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष व सचिव हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होंगे।
- (ख) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं का संचालन करेगा। संस्थाओं के संचालन के लिए दान, चन्दा और अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।
- (ग) ट्रस्ट द्वारा संचालित प्रत्येक संस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी समिति होगी जो कि संस्था के संचालन के लिए आवश्यक सम्बद्धता/मान्यता अथारिटीज उत्तर प्रदेश

Yogendra Kumar



Yogendra Kumar
President

Yogendra Kumar
Treasurer

(7)

सरकार/भारत सरकार अन्य सम्बन्धित संस्थाओं के नियमों के अनुकूल एक प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करेगा।

- (घ) ट्रस्ट अन्य किसी भी समिति/ट्रस्ट की सहमति से उसके परिसम्पत्ति एवं दायित्वों सहित उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों को अपने में विलीन कर सकेगा और समविलन की तिथि से उस समिति का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा और उसके अधिकार/सम्पत्ति परिसम्पत्ति एवं दायित्व ट्रस्ट के निहित समझे जायेंगे।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति -

1. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहें जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझें, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।
3. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।
4. यह कि श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य (आधार नं०-534265690921) पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य निवासी बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) उपरोक्त ट्रस्ट के सचिव व श्रीमती नूपुर गुप्ता (आधार नं०-312341847666) पत्नी श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य निवासी बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद (उ०प्र०) उपरोक्त ट्रस्ट की अध्यक्ष होंगी। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे-

Yogendra Kumar



Mulind
President

Yogendra
Treasurer

यह कि ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा तथा ये व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग-पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग-पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग-पत्र देने वाले सदस्य का समस्त अधिकार ट्रस्ट से समाप्त हो जायेगा।

1. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे—

अध्यक्ष— ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना।

उपाध्यक्ष— अध्यक्ष का सहयोग करना एवं उनकी अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना।

सचिव— ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना, ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से संचालित करना, सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना, सभी बैठकों की कार्यवाही को पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना, अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल सभी ट्रस्टियों को भेजना, ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना, ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना। ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपसचिव— सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष— ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान

Yogenika Kumar



Yogenika Kumar
President

Yogenika Kumar
Treasurer

कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

2. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे— न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी तथा अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।
3. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं व उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझे प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।
4. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेंट जिसमें बैंक भी शामिल है को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझे बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।
6. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर

Yogendra Kumar



Yogendra Kumar
President

Yogendra Kumar
Treasurer

ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण /बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, क्रय करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।
8. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टियों की संख्या का 2/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टियों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
9. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पद, पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
10. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य

Yogendra Kumar



Yashwanth Samajik Mahajan

President

Treasurer

ट्रस्टीगण, बैंकर, दलाल, एजेंट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियों आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु वह उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत उत्तरदायी नहीं होंगे।

11. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हों में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स-खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा, सचिव अकेले द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।
12. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
13. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट का प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजान्ता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय-व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
15. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की

Yogendra Kumar

Yogendra Kumar, President, Dava Sansthan

Yogendra
President

Yogendra
Treasurer

उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

16. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सशर्त अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी क्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।
17. यह कि ट्रस्ट की डीड ट्रस्ट के सचिव द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।
18. यह कि एतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

Yogendra Kumar



Yogendra Kumar
President

Yogendra Kumar
Treasurer

हस्ताक्षर सचिव

श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य निवासी

बी-157 मेहदौरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इलाहाबाद

(आधार नं०-534265690921)



Yogendra Kumar

योगेन्द्र कुमार
बी-157
मेहदौरी कालोनी
नियर दुर्गा पूजा पार्क
तेलियरगंज
इलाहाबाद



हस्ताक्षर गवाह

श्री अनुग्रह नारायण सिंह पुत्र श्री राजवीर सिंह निवासी म्योहर सराई

अकिल कौशाम्बी उत्तर प्रदेश (आधार नं०-286545877356)



A.N. Singh



अनुग्रह नारायण सिंह
बी-157
मेहदौरी कालोनी
नियर दुर्गा पूजा पार्क
तेलियरगंज
इलाहाबाद

हस्ताक्षर गवाह

श्री अमय कुमार पुत्र श्री हरिशंकर राम निवासी 84 बी/3 आर, मधुवन

बिहार कालोनी, उमरपुर नीवा इलाहाबाद (आधार नं०-462112134462)



Amay Kumar



अमय कुमार
बी-157
मेहदौरी कालोनी
नियर दुर्गा पूजा पार्क
तेलियरगंज
इलाहाबाद

मसविदाकर्ता

पीयूषपाणि शुक्ल पुत्र श्री हृदयांचल शुक्ल निवासी-जोधवल

तेलियरगंज इलाहाबाद

दिनांक

पीयूषपाणि शुक्ल

Yashwanthi Committee, Yashwanthi, Yashwanthi, Yashwanthi

Nulu
President

Yashwanthi
Treasurer

2300 (31-3-17) [CS]
 कार्यालय (विभाग: ...)
 श्री योगेश साहू
 दिनांक 133 अर्थात् 31 मार्च 2017
 ...

न्यासी

Registration No.: 131 Year: 2,017 Book No.: 4

0101 योगेश कुमार वैश्य: *Yogesh Kumar*
 छेदी लाल वैश्य
 पी-157 मीहदीरी कालोनी निबर दुर्गा पूजा-पाक वेतियरगंज इलाहाबाद



Yogesh Kumar
 President

Yogesh Kumar
 Treasurer

सं. सं. 193 अथवा 31 मार्च 2017 तक मुद्रांकित

समाज के सदस्यों को सूचित करने के लिए

Yogendra Kumar

याच पत्र

11,000.00

220.00

80

300.00

28

व्यक्त की राशि

खीय रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

पृष्ठों की संख्या

श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य

Yogendra Kumar

पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य

व्यवसाय

निवासी स्थानी बी-157 मेंहदोरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इला0 आ0स0 अस्थायी पता 921

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/4/2017 समय 1:41PM

यसे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Atiq
हसनैन अहमद (प्र0)
उप निबन्धक (प्रथम)

इलाहाबाद
3/4/2017

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने के पश्चात्

श्री योगेन्द्र कुमार वैश्य
पुत्र श्री छेदी लाल वैश्य
पेशा

Yogendra Kumar

निवासी बी-157 मेंहदोरी कालोनी नियर दुर्गा पूजा पार्क तेलियरगंज इला0 आ0स0 534265690



ने निष्पादन स्वीकार किया।

दिनकी पहचान अनुग्रह नारायण सिंह
राजवीर सिंह

पेशा

निवासी म्योहर सराई अकिल कौशाम्बी आ0स0

व अभय कुमार
हरिशंकर राम

Atiq

पेशा

निवासी 84वी/3 आर मधुवन बिहार कालोनी उमरपुर नीवा इला0

ने की।

प्रत्यक्षतः पत्र साक्षियों के चिह्न संगृहीत निबन्धन हेतु लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Atiq
हसनैन अहमद (प्र0)
उप निबन्धक (प्रथम)
इलाहाबाद

President

Atiq
President

Yogendra
Treasurer

पुस्तक संख्या 131/2017

क्रमांक 133 दिनांक 31 मार्च 2017
गवाह

गवाह

Registration No.: 131

Year: 2017

Book No.: 4

W1 अनुग्रह नारायण सिंह
राजवीर सिंह
म्योटर सप्लायर्स अफिल कोलकाता आ0स0 286545877356

A.H. Singh



W2 अभय कुमार
हरिशंकर राम
84थी/3 आर मधुवन बिहार कालोनी उमरपुर नीवा इला0 आ0स0 4621121

Handwritten signature of a man.



President
Treasurer